

20.5.24

उपरोक्त उपस्थित। वाडी जीए वकील धारणा - पत्र पेश।
कहा वाड-पत्र में कोई कार्यवाही नहीं करते हुए
डायबल दफतर कले को निवेदन किया। वाडी उपस्थित।
वाडी की पहचान श्री रामेश साख्यत आंध्र द्वारा की गई।
वाडी द्वारा वाड-पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते
था वाड-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाना
है। पत्रावली गंवारले पर होकर डायबल दफतर है।

आदेश के अनुसार हुनादा गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



Identified
by ME
12
A